DSSSB TGT & PGT
Part-B
SCHOLAR BATCH
INDIAN ECONOMY
Poverty
Part -8
LIVE
10-07-2024 08:00 PM

लोक वित्त

पूँजी व्यय खाता :-

केन्द्र तथा राज्य सरकार के खाते तीन भागों में विभाजित किए जाते हैं।
(1) संचित कोष सरकार को प्राप्त सभी प्रकार की आय जैसे कर आय, करेतर आय, ऋण प्राप्तियाँ आदि इसमें शामिल की जाती हैं। 266
(2) आकस्मिक कोष इस कोष से सरकार के ऐसे व्ययों को पूरा किया जाता है, जिनमें विलम्ब नहीं किया जा सकता है। 267
(3) लोक खाता इस खाते में एकत्रित धनराशि सरकार की नहीं होती।

1. **सार्वजनिक ऋण** (Public debt)

सरकार को विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए बड़ी मात्रा में साधनों की आवश्यकता पड़ती है। इस हेतु सरकार देश तथा विदेश से ऋण लेती है, जिसे सार्वजनिक ऋण कहते हैं।

2. **वित्तीय प्रशासन :** (Financial Administration)

वित्तीय क्रियाओं के प्रबन्धन का अध्ययन वित्तीय प्रशासन के अन्तर्गत करते हैं। लेखा परीक्षण, बजट के प्रकाशन का कार्य भी वित्तीय प्रशासन के अन्तर्गत ही आता है।

3. **आर्थिक स्थिरता :** (Economic stability)

देश में आर्थिक स्थायित्व लाने सम्बंधी नीतियों पर विचार आर्थिक स्थिरता के अन्तर्गत किया जाता है। आर्थिक स्थिरता के अन्तर्गत ही राजकोषीय नीति का अध्ययन किया जाता है।

राजकोषीय नीति (Fiscal Policy):

⇒ राजकोषीय नीति से आशय सरकार की आय व्यय तथा ऋण से सम्बंधित क्रियाओं से है। राजकोषीय नीति का सम्बंध अर्थव्यवस्था निष्पादन को सुधारना तथा लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान करने से है।

⇒ राजकोषीय नीति के द्वारा सरकार अर्थव्यवस्था में रोजगार राष्ट्रीय उत्पादन, आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक स्थिरता इत्यादि उद्देश्यों को प्राप्त करती है। यह अर्थव्यवस्था की संवृद्धि को दो मुख्य प्रकार से प्रभावित करती है

Capital Expenditure Account

* अर्थव्यवस्था को सुचारु रूप से चलाये रखने की नीति।

→ Pub of fund
→ Accounting

पहला विकास के लिए साधनों का एकत्रण करना तथा दूसरा, साधनों के आवण्टन द्वारा कार्यकुशलता में सुधार करना।

⇒ वर्ष 1987-88 के बजट से भारत में सार्वजनिक व्यय को योजना एवं गैर-योजना में विभक्त किया जाता है।

⇒ 2017-18 के बजट से योजनागत और गैर-योजनागत व्यय के विभाजन को समाप्त किया जा रहा है।

⇒ भारत में सार्वजनिक व्यय राजस्व एवं पूँजी व्यय की मदों में किया जाता है।

⇒ घाटे की वित्त व्यवस्था, सरकारी वृद्धि, निवेश में वृद्धि करना और आय के वितरण में समानता लाना, एवं अर्थव्यवस्था के मन्दी काल में अपनाया जाता है।

घाटे की वित्त व्यवस्था =

वित्तीय घाटा : ✓ (व्यय-आय) = घाटा (Deficit)

⇒ जब सरकार का व्यय उसकी आय प्राप्ति से अधिक हो जाता है, तो सरकार इस घाटे को पूरा करने के लिए जिस व्यवस्था का सहारा लेती है, उसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं।

⇒ भारतीय दृष्टिकोण में घाटे की वित्त व्यवस्था में निम्नांकित तीन उपाय सम्मिलित किए जाते हैं।

① केन्द्रीय बैंक से उधार लेकर अर्थात नई मुद्रा का सृजन करवा कर। ✓

② संचित नकद बकाया को खातों से निकाल कर। ✓

③ सरकार द्वारा नई मुद्रा एवं सिक्के जारी करके। ✗

वित्तीय घाटों के आकलन -

वित्तीय घाटों के आकलन के अन्तर्गत निम्नलिखित घाटों की व्याख्या होती है।

पूंजीगत घाटा =
पूंजीगत (व्यय-आय)
इसकी पूर्ति - राजस्व खाते के अधिशेष

① **पूँजीगत घाटा :- (Capital Deficit)** ✓

⇒ सरकार की पूँजीगत प्राप्तियों एवं पूँजीगत व्यय के अन्तर को पूँजीगत घाटा कहते हैं। सरकार इसकी पूर्ति राजस्व खाते के अधिशेष से करती है। यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है।

② **बजटरी घाटा :-**

⇒ सरकार के बजट में कुल प्राप्तियों की तुलना में यदि कुल व्यय अधिक हो, तो उसे बजटरी घाटा कहा जाता है।

बजटरी घाटा = कुल व्यय - कुल आय

राजस्व + पूंजीगत | राजस्व + पूंजीगत

(B)

राजकोषीय घाटा = (B) + उधार + अन्य देयताएं

राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व आय

बजटरी घाटा = कुल प्राप्तियाँ – कुल व्यय

(कुल प्राप्तियाँ → राजस्व आय, पूँजीगत आय; कुल व्यय → राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय)

(3) राजकोषीय घाटा :- (Fiscal Deficit)

⇒ जब बजटरी घाटे में उधार और अन्य देयताओं को जोड़ दिया जाता है, तब राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है।

राजकोषीय घाटा = बजटरी घाटा + उधार और अन्य देयताएँ

⇒ बजटरी घाटे की तुलना में राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को और अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। बजटरी घाटे में सार्वजनिक ऋण को भी एक आय मान लिया जाता है, जबकि राजकोषीय घाटे में ऋण को आय नहीं माना जाता है।

⇒ राजकोषीय घाटा दो प्रकार का होता है।

i) सकल राजकोषीय घाटा :- (Gross fiscal Deficit)

⇒ किसी वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत सरकार के कुल आय और कुल व्यय का अन्तर ही सकल राजकोषीय घाटा कहलाता है।

सकल राजकोषीय घाटा = राजस्व घाटा + पूँजीगत व्यय

ii) निवल राजकोषीय घाटा :- (Net fiscal deficit)

⇒ जब सकल राजकोषीय घाटे को कुल आय एवं कुल व्यय के अन्तर को ऋण अदायगी के साथ समायोजित किया जाता है, तो उसे निवल राजकोषीय घाटा कहते हैं।

निवल राजकोषीय घाटा = सकल राजकोषीय घाटा – ऋण की अदायगी

iii) राजस्व घाटा :- (Revenue Deficit)

किसी वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत कुल राजस्व प्राप्ति की तुलना में कुल राजस्व व्यय जितना अधिक होता है, उसे राजस्व घाटा कहा जाता है।

राजस्व घाटा = राजस्व व्यय – राजस्व आय

iv) प्राथमिक घाटा :-(Primary Deficit)

⇒ जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज देयताओं को घटाया जाता है, तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। प्राथमिक घाटा किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार की वास्तविक राष्ट्रीय वृद्धि का संकेतक है।

प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा + ब्याज की अदायगी

v) मौद्रिकृत घाटा (Monetary Losses)

⇒ केन्द्र सरकार के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की निवल साख में होने वाली वृद्धि को मौद्रिकृत घाटा कहा जाता है, या घाटे की वह राशि जिसकी वित्तीय व्यवस्था नोट निर्गमन के द्वारा हो, उस घाटे को मौद्रिक घाटा कहेंगे।

[मौद्रिकृत घाटा = भारतीय रिज़र्व बैंक के बकाया ट्रेजरी बिलों (Holdings of Treasury Bills of RBI) की शुद्ध वृद्धि सरकार की बाजार उधार में रिज़र्व बैंक का योगदान]

केन्द्र सरकार के घाटे की प्रवृत्तियाँ (सकल घरेलू उत्पाद प्रतिशत के रूप में)

वर्ष	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	प्राथमिक घाटा
2018-19	2·4	3·4	0·4
2019-20 (संशोधित अनुमान)	2·5	3·8	0·7
2020-21 (बजटरी अनुमान)	2·7	3·5	0·4

चालू खाता एवं राजकोषीय घाटा :-

⇒ अर्थव्यवस्था द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के दृश्य तथा अदृश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों को प्रदर्शित करने वाले खाते को चालू खाता कहते हैं। इसके शेष को चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) कहते हैं। राजकोषीय घाटा तथा चालू खाता घाटा अर्थव्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।

⇒ राजकोषीय नीति का आरम्भ वर्ष 1936 से माना जाता है। जब लॉर्ड कीन्स ने सार्वजनिक व्यय की भूमिका पर बल दिया था।

Digvijay Sir GS

⇒ बजटरी घाटा शून्य हो तो मौद्रिकृत घाटा इस बात पर निर्भर करेगा कि सार्वजनिक ऋण में RBI की धारिता कितनी है।

⇒ कोई भी देश बिना दिवालिया हुए, जितने व्यय की सम्भाव्य क्षमता रखता है तथा वास्तव में जितना व्यय करता है, दोनों का अन्तर फिस्कल स्पेस कहलाता है।

राजकोषीय उत्तरदायित्व बिल प्रबन्ध एक्ट, 2003 [FRBM Act 2003]:

⇒ राजकोषीय समेकन तथा सार्वजनिक व्यय प्रबन्धन की दिशा में राजकोषीय उत्तरदायित्व बिल प्रबन्धन एक्ट 2003 एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण प्रभावी कदम है।

⇒ राजकोषीय समेकन तथा सरकार के राजस्व प्रबन्धन को सनुमुन्नत करने के उद्देश्य से सरकार ने ई ए एस शर्मा की अध्यक्षता में राजकोषीय उत्तरदायित्व विधि निर्माण (Fiscal Responsibility Legislation) के लिये जनवरी 2000 में समिति गठित की जिसका उद्देश्य राजकोषीय प्रणाली के विविध पहलुओं का परीक्षण करना तथा राजकोषीय दायित्व के सम्बंध में कानून के प्रारूप के सम्बंध में संस्तुति करना था, पर अन्तिम रूप में राजकोषीय पारदर्शिता पर निर्मित अहलूवालिया कमेटी की रिपोर्ट 2001 इसका आधार बनी।

⇒ Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) बिल दिसम्बर 2000 में संसद में रखा गया तथा कुछ सुधार के बाद 26 अगस्त 2003 को FRBM एक्ट के रूप में पारित हुआ तथा 5 जुलाई 2004 को FRBM नियम के साथ अधिसूचित किया गया।

FRBM Act की प्रमुख विशेषतायें:-

① केन्द्र सरकार राजकोषीय घाटा तथा राजस्व घाटे को कम करने के लिए उचित कदम उठाए, जिससे राजस्व घाटा 31 मार्च 2008 तक समाप्त हो जाए तथा उसके बाद पर्याप्त राजस्व आधिक्य सृजित हो सके।

② एक्ट के अन्तर्गत उन नियमों को बनाना, जो राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, आकस्मिक देयताएँ तथा कुल देयताओं में कमी लाने के सम्बंध में वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर सकें॥

③ राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा इन नियमों में निर्दिष्ट लक्ष्यों का तभी अतिक्रमण कर सकते हैं, जबकि केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय संकट की स्थिति हो।

④ केन्द्र सरकार रिजर्व बैंक से उधार नहीं लेगी; केवल तभी जब नकदी प्राप्ति के अपेक्षा नकदव्यय अस्थायी रूप से अधिक हो। सरकार अग्रिम के रूप में रिजर्व बैंक से उधार ले सकेंगी।

⑤ वर्ष 2006-07 से रिजर्व बैंक केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमन में खरीद नहीं करेगी।

⑥ केन्द्र सरकार अपने राजकोषीय क्रियाशीलन में अधिकाधिक पारदर्शिता लाने के उपाय करेगी।

⑦ केन्द्र सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement) तथा माँग अनुदान के साथ तीन विवरण प्रस्तुत करेगी ये हैं- मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेण्ट, मैक्रोइकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेण्ट तथा फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेण्ट।

⑧ बजट के सन्दर्भ में वित्तमंत्री प्राप्तियों तथा व्ययों की प्रवृत्ति की समीक्षा संसद में प्रत्येक तीन महीने के बाद प्रस्तुत करेंगे। केन्द्रीय बजट वर्ष 2012-13 के अधिनियम में दो नए अतिरिक्त प्रावधान जोड़ दिए गए हैं। ये हैं-

वित्त सम्बंधित महत्वपूर्ण समितियाँ :

⇒ सरकार के व्यय एवं वित्तीय अनुशासन से सम्बंधित निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया।

रंगराजन समिति :-

⇒ योजना आयोग ने डॉ॰ सी रंगराजन की अध्यक्षता में सरकारी व्यय के दक्ष प्रबन्धन के सम्बंध में सुझाव देने के लिए एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सितम्बर 2011 में सौंप दी।

⇒ इसकी महत्वपूर्ण संस्तुतियाँ इस प्रकार हैं।

① सार्वजनिक व्यय के सम्बंध में आयोजन तथा आयोजन भिन्न अन्तर को समाप्त करना तथा बजट व्यवस्था को उत्पादन एवं परिणामों के साथ जोड़कर सरकारी व्यय प्रबंधन के दृष्टिकोण में मूलभूत परिवर्तन लाना।

② राज्यों में क्रियान्वित हो रहे केन्द्रीय कार्यक्रमों, उप-कार्यक्रमों तथा योजनाओं के लिए एक समान कोडों के साथ एक नवीन बहुआयामी बजट तथा लेखाकरण की शुरूआत करना।

③ सभी नई योजनाओं के लिये 12 वीं योजना से सम्पूर्ण राजकोषीय मोड में रूपान्तरण।

④ क्रय शक्ति समानता सम्बंधी परियोजनावार, क्षेत्रवार तथा मन्त्रालयवार सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

⑤ राजस्व - पूँजी वर्गीकरण को बनाए रखने पर सामायोजित राजस्व घाटा

केलकर समिति :-

⇒ सरकार ने वित्तीय अनुशासन को लाने के लिए विजय केलकर की अध्यक्षता में लेखा समिति का गठन किया, जिसने एक माह से भी कम समय में अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी।

⇒ इस रिपोर्ट में वित्तीय स्थिति को चिन्ताजनक बताया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि जल्दी ही वित्तीय अनुशासन लाने के लिए पूर्वतः कदम नहीं उठाए गए, तो स्थिति वर्ष 1991 की तरह चिन्ताजनक हो जाएगी।

Thank you